(छ) सूचीबद्ध अस्पतालों में भर्ती होकर निम्न बिमारियों सहित 1000 से ऊपर बिमारियों का ईलाज कराया जा सकता है:

1. टी. बी.
2. प्रसव सामान्य एवं ऑपरेशन द्वारा
3. बच्चे दानी का ऑपरेशन
4. अपेन्डिक्स का ऑपरेशन
5. गुर्दे में पथरी
6. पित्त की थैली में पथरी
7. दस्त–उल्टी
8. डेन्गू बुखार, दिमागी बुखार, मिर्गी
9. टायफॉयड बुखार, मलेरिया
10. दमा
11. उच्च रक्त चाप
12. डायलिसिस, रेडियोथेरेपी
13. कैंसर का केमोथेरेपी
14. टॉन्सिल का ऑपरेशन
15. हाइड्रोसिल का ऑपरेशन
16. प्रॉस्टेट का ऑपरेशन
17. नाम, कान, गले का ऑपरेशन
18. आँख का ऑपरेशन
19. हेपेटाइटिस A, B
20. मधुमेह (डायबिटिज)
21. आँत का घाव
22. स्तन का गांढ
23. कारबन्कल पीठ
24. हर्निया का ऑपरेशन
25. हड्डी का फ्रैक्चर

(ज) अस्पताल में कार्ड के उपयोग में परशानी आने पर परिवार के सदस्यों यदि अलग–अलग स्थानों पर रहते हों तो अधिकतम दो स्मार्ट कार्ड निर्गत करवाने यथा उम्र, लिंग, अगूंठे का निशान इत्यादि किसी भी प्रविष्टि में त्रुटि सुधार हेतु जिले के स्थानीय कियोस्क से संपर्क किया जा सकता है।

(झ) अधिक जानकारी हेतु सम्पर्क करें

- प्रखण्ड में श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी
- जिला में डी.के.एम. / डी.पी.एम. / सहायक श्रमायुक्त / उपश्रमायुक्त / जसलॉज कार्यालय, राँची।

झारखण्ड सरकार

राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना

झारखण्ड स्टेट लेबर वेलफेयर सोसाईटी

(जसलॉज)

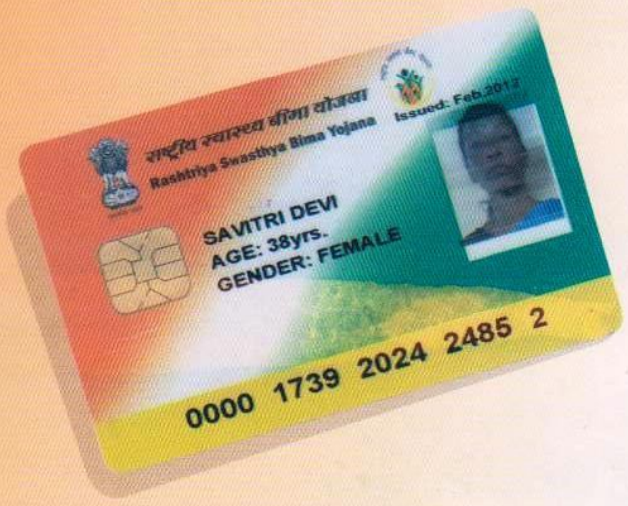

कार्यालय का पता :

राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना

संयुक्त श्रम भवन, डोरण्डा, राँची–834002.

दूरभाष : 0651–2480458

ई–मेल: jaslaws.ranchi@gmail.com

टॉल फ्री: 1800 3456 540

राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना

(क) योजना का स्वरूप :

यह योजना केन्द्र सरकार के द्वारा प्रायोजित है। इस योजना के अधीन गरीबी रेखा के नीचे के परिवार के मुखिया सहित पाँच सदस्यों को सालाना रू. 30,000 का स्वास्थ्य बीमा का लाभ दिया जाता है। बीमा अवधि के अन्तराल में परिवार में जन्म लेने वाले बच्चे स्वतः शेष बीमा अवधि के लिए योजना में शामिल माने जाते हैं।

बीमा कम्पनी के द्वारा सूचीबद्ध अस्पतालों में भर्ती होकर ईलाज कराने पर सलाना रू. 30,000 तक का ईलाज खर्च बीमा कम्पनी द्वारा अस्पतालों को भुगतान किया जाएगा। लाभुकों को अस्पताल तक आने–जाने के लिए प्रत्येक बार रू. 100 अधिकतम सलाना रू.1,000 का भुगतान तथा मरीज को आवश्यकतानुसार भोजन, दवा इत्यादि की व्यवस्था अस्पताल द्वारा की जाएगी।

(ख) योजना की पात्रता :

बी. पी. एल. परिवार, मनरेगा कर्मी (जिन्होनें विगत वित्तीय वर्ष में कम से कम 15 दिन तक कार्य किया हो), घरेलु कामगार, बीड़ी मजदूर, भवन एवं सन्निर्माण कामगार, स्ट्रीट भेण्डर इत्यादि इस योजना से आच्छादन के पात्र हैं।

(ग) निबंधन की प्रक्रिया :

बीमा कम्पनी के प्रतिनिधि गाँव–गाँव जाकर लाभुक परिवार के सदस्यों को निबंधन/नवीकरण कर उनका फोटो खींचकर उन्हें प्लास्टिक केश में सुरक्षित एक स्मार्ट कार्ड उपलब्ध कराएगें। निबंधन के समय ही सूचीबद्ध अस्पतालों की सूची उपलब्ध करायी जाती है।

निबंधन के लिए प्रत्येक लाभुक परिवार को रू. 30 का भुगतान बीमा कम्पनी के प्रतिनिधि को करना होगा।

लाभुक परिवार के मुखिया एवं सदस्यों की पहचान जिला प्रशासन द्वारा नामित पदाधिकारी/कर्मचारी द्वारा किया जाएगा। इस कार्य हेतु झारखण्ड राज्य में आंगनबाड़ी सेविकाओं को नामित किया गया है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना

(घ) सावधनियाँ :

- निबंधन केन्द्र पर आपके सहित परिवार के 5 सदस्यों की फोटो एवं अंगूठे का निशान अवश्य दें।
- कार्ड बनाते समय इसकी प्रविष्टियों यथा नाम, उम्र, फोटो सहित सभी विवरणी की जाँच कर लें तथा किसी भी त्रुटि की ओर अविलंब ध्यान आकृष्ट करें।
- अपना स्मार्ट कार्ड उसी समय प्राप्त करें।
- अपने स्मार्ट कार्ड को अच्छी तरह से सुरक्षित रखें
- अपना स्मार्ट कार्ड किसी दुसरे व्यक्ति को ना दें।
- ईलाज हेतु अस्पताल पहुँचते ही अपना वैध स्मार्ट कार्ड दिखायें।
- इस योजना के अंतर्गत डॉक्टर से दिखाने के उपरांत यदि अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता नहीं होती है तो डॉक्टर को कोई फीस देय नहीं है। परंतु रोग की पहचान हेतु जाँच एवं दवाओं का भुगतान करना होगा।
- स्मार्ट कार्ड को ईलाज के बाद अस्पताल में ना छोड़ें। अस्पताल छोड़ते समय सुनिश्चित हो लें कि आपका कार्ड अनब्लॉक कर दिया गया है तथा आपके कार्ड से उतनी ही राशि घटाई गयी है जितना आपके पैकेज दर में उल्लेखित है तथा आपको बताया गया है।
- स्मार्ट कार्ड बीमा की अवधि प्रारंभ होने से एक वर्ष तक ही वैध है। अतः इस अवधि में इसका समुचित उपयोग कर लें।

(ड.) स्वास्थ्य शिविर :

योजना के सफल क्रियान्वयन में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि रही है। राज्य स्तर, जिला स्तर एवं प्रखण्ड स्तर पर स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया गया है।

(च) प्रोत्साहन :

लाभुकों को सूचीबद्ध अस्पताल लाने के लिए प्रत्येक मामले में सहिया/आंगनबाड़ी सेविका को रू. 100 प्रोत्साहन राशि के रूप में अस्पताल के द्वारा भुगतान किया जाता है।